

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 अगस्त 2020—श्रावण 15, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2020

क्र. एफ-2-01-2020-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पर्यावरण विभाग की सेवाएं:—

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.2 1	बैटरी(प्रबंधन और हथालन) नियम 2001 यथा संशोधित नियम 7 (VII) के अन्तर्गत बैटरी डीलर्स का पंजीकरण.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.2 2	ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के नियम 13(2) तथा 13(3) अंतर्गत निर्माणकर्ता, डिस्मैटलर तथा रिसाईकलर को प्राधिकार.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	उप सचिव, पर्यावरण विभाग	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग.
17.2 3	ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के नियम 13(4) के अंतर्गत रिफर्विशर को प्राधिकार.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.